

11/11/18

पञ्जावली पेय ड्रिंक प्रा० पत्र पर क्वचत हुनी गरी  
पञ्जावली का क्वचत लिता गमा। उक्तरा होप  
मि इत उक्तर है कि उक्ती हाय डापत्र सायजी  
ख० न० 6667/2 शकदा 10 गीष्ट 6 किये वाक  
ग्राह उक्ती कियेनी की सीमांकन पञ्जावली क्वचत  
जाने का निवेदन लिता है। उक्तर डापत्र क्वचत  
सायजी लेव्य 1007 हाय उक्तर उक्तर का उक्तर  
लिता है कि निवेदन जमीन के मामले के माथ के

2/11

क्रम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

खालोवार्ड है शोर धारा 128 L.L.A का हुक्म  
सभी तरह खालोवार्डो' द्वारा पंच होने पर ही पत्तागरी  
कराही जा सकती है। एक जबाबदारान की ओर से  
पत्तागरी का कोई हुक्म नहीं है। इसलिए ज२०  
तकल खासि होने मौज है।

उपरोक्त की कथन हुनी गयी कथन  
का मनन किया जाता। पत्रावली का इवलेन्स बिना  
पत्रावली उपरोक्त समय दिनांक जमाबंदी सेवन  
2076-2079 के सभी खालोवार्डो की प्रजापूर नहीं  
बनाता जाता है। इसलिए उपरोक्त यलने मौज नहीं  
है। कथन! उपरोक्त खासि किया जाता है। पत्रावली  
हुकम शुभ्य होने में काम होने का अधिकार  
है। इसलिए हुनाता जाता है।

७/11  
मुख्य अधिकारी  
करौली (राज०)